Popular Front of India

G-78,2nd Floor, ShaheenBagh, Kalindikunj, Noida Road, New Delhi- 110025
website: www.popularfrontindia.org email:popularfrontmail@gmail.com Tel: 011- 29949902

प्रेस रिलीज़

नई दिल्ली
10 अगस्त 2017

बाबरी मस्जिद केस में शिया वक्फ बोर्ड का हलफनामा निराशाजनकः पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन ई. अबूबकर ने उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड की ओर से दायर किये गए हलफनामे पर गहरी चिंता और अफसोस का इज़हार करते हुए इसे निराशाजनक कदम बताया है।

यह बात शक से खाली नहीं कि संघ परिवार बाबरी मस्जिद और इंसाफ की इस लड़ाई को खत्म करने के लिए कुछ मुस्लिम समाज के मौका परस्त और बदकिरदार लोगों पर लगातार दबाव डाल रहा है। यूपी शिया वक्फ बोर्ड में बड़े पदों पर बैठे कुछ लोगों ने इस तरह का हलफनामा दायर किया है, ताकि वह सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार का साथ पा सकें, जिसने राम जन्म भूमि के नाम पर पहले ही ध्रुविकरण का बाज़ार गर्म कर रखा है। लेकिन ऐसा करके, बोर्ड ने भारतीय मुसलमानों और दशकों से जारी बाबरी मस्जिद के इंसाफ की लड़ाई को केवल अपने कुछ छोटे छोटे व्यक्तिगत फायदों के लिए धोखा दिया है। इस हलफनामे के द्वारा, बोर्ड ने अपने अमल से यह साबित किया है कि उसे उन ज़ालिमों के साथ खड़े होना पसंद है जिन्होंने 1992 में सेक्युलर लोकतांत्रिक भारत के चहरे पर एक कभी न मिटने वाला दाग लगाते हुए सदियों पुरानी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। अपने ईमान का सौदा करने वाले इन लोगों ने मुस्लिम समाज के किसी भी तबके में चाहे वह सुन्नी हो या शिया या कोई और, अपने लिए कोई जगह बाकी नहीं रखी है।

साथ ही यह बात भी गौर करने के लायक है कि बोर्ड इस मामले का हिस्सा नहीं रहा है, इसलिए इस केस में इस हलफनामे का कोई कानूनी महत्व नहीं है। सुब्रह्मण्यम स्वामी के बयान से यह बात साफ ज़ाहिर होती है कि यह केवल हिंदुत्वा के जारी प्रोपगंडे को पूरा करने का एक हिस्सा है।

सुब्रह्मण्यम स्वामी के जवाब पर टिप्पणी करते हुए चेयरमैन ने कहा कि ''स्वामी के बयान के विपरीत यह कोई 'ईश्वर का भेजा हुआ' हल नहीं है बल्कि यह शैतान की तरफ से आई हुई साज़िश है। भारतीय मुसलमान हर कीमत पर उस समय तक अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे जब तक बाबरी मस्जिद को इंसाफ नहीं मिल जाता।''

शफीकुर्रहमान
सेक्रेटरी, जनसंपर्क
मुख्यालय, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, दिल्ली